25

मानवाधिकार

मानवाधिकारों के बारे में इस मूलभूत तथ्य को हमें याद रखना चाहिए कि ये किसी राजा अथवा किसी राजनीतिक संप्रभु द्वारा दिया गया उपहार या पारितोषिक (इनाम) नहीं है, बल्कि वे अधिकार हैं, जो मानव अस्तित्व में समाहित रहते हैं। मानवाधिकारों से संबद्ध किसी भी कानून का उद्देश्य उनकी पहचान करना, उनके प्रयोग को नियमित करना तथा उनसे सम्बद्ध मामलों को लागू करवाना होता है। किसी सभ्य समाज में कुछ आधारभूत अधिकारों की अनुल्घनीयता इस विचार पर ही आधारित है। मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और परस्पर निर्भर होते हैं।

मानवाधिकारों के लागू होने की व्याख्या में कहा जाता है कि इसमें गौरवपूर्ण मानव अस्तित्व के सभी पक्षों को शामिल किया गया है, ताकि सभी मनुष्य मानव जाति के परिवार का समान हिस्सा बनें। मनुष्य की गरिमा ही मानवाधिकारों का सार है। इस पक्ष की व्यापक समझ और व्यक्ति की गरिमा के क्षेत्र को समझने से मानवाधिकारों के सही क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- मानवाधिकारों की मूलभूत अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे;
- मानवाधिकारों की मुख्य श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकेंगे;
- मानवाधिकारों के विकास संबंधी विशिष्ट बातों को स्मरण कर सकेंगे;
- भारत में मानवाधिकारों के विकास को जान सकेंगे;
- मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की पहचान कर सकेंगे।

25.1 मानवाधिकारों की मूलभूत अवधारणा

मानवाधिकारों के वर्गीकरण के कई तरीके हैं। उनमें से कुछ श्रेणियों को नीचे दिया जा रहा है:

25.1.1 संस्थापित (शास्त्रीय)

इसके अंतर्गत नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है और प्राय: यह व्यक्ति को प्रभावित करने वाली राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं।

25.1.2 मौलिक और मूल अधिकार

हाल ही में मानवाधिकारों में हुई बढ़ोतरी से एक नया सरोकार उत्पन्न हो गया है कि इससे कुछ अधिकार समाप्त हो जाएंगे। कुछ अधिकार इतने महत्व के हैं कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनमें व्यक्तिगत गरिमा तथा भौतिक आवश्यकताओं से जुड़े सारे अधिकार सम्मिलित होते हैं।

25.1.3 सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार

सामान्यत: अधिकांश मानवाधिकारों का संबंध व्यक्ति से होता है अतएव यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें से कुछ अधिकारों का प्रयोग केवल समूहों द्वारा किया जा सकता है। ऐसा विशेष रूप से तब होता है, जब किसी अधिकारों के प्रयोग की योग्यता के लिए किसी समूह का सदस्य होना जरूरी हो।

25.1.4 प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के अधिकार

यह वर्गीकरण स्पष्टत: अधिकारों के ऐतिहासिक विकास के अनुरूप है। प्रथम नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार हैं और दूसरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हैं। हाल ही के वर्षो में शिक्षाविदों ने एकात्मता नामक अधिकार की चर्चा शुरू कर दी है, जिसे तीसरी (तृतीय) पीढ़ी का अधिकार कहा जाता है। इस अधिकार में शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, खाद्य एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सम्मिलित हैं। नि:संदेह मानवाधिकार अनिवार्य रूप से परिवर्तनात्मक होते हैं।

25.2 मानवाधिकारों की छः विशेषताएँ

उपर्युक्त विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी प्रकार के मानवाधिकारों में कुछ समान विशेषताएं होती हैं। हम कम से कम छ: विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं जो मानवाधिकारों की अवधारणा के आधार हैं।

25.2.1 मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार हैं

गरिमापूर्ण तथा मानव जीवन जीने और सब लोगों को यह अधिकार दिलाने की दिशा में काम करने का सबको अधिकार है। जाति-भेद, रंग-भेद, धार्मिक एवं लिंग भेद के आधार पर इन अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता।

25.2.2 मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं

ये अधिकार राष्ट्र, जाति, लिंग या रंग के आधार पर नहीं होते। सभी देशों के लोगों, जाति, रंग, धर्म के मानने वालों को सर्वत्र समान अधिकार प्राप्त हैं। विश्व के सभी विकसित एवं विकासशील देशों को इन अधिकारों को अपने-अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए।

25.2.3 मानवाधिकार सभी लोगों को समान मानते हैं

ये इस विचार का अनुपालन करते हैं कि ''सभी मानव, अधिकारों और गरिमा के मामले में समान और स्वतंत्र पैदा हुए हैं। इसलिए वे सभी अपनी अलग-अलग संस्कृतियों और परम्पराओं, राजनीतिक विचारधारा, लैंगिकता, सामाजिक उद्‌गम, प्रतिष्ठा इत्यादि का सम्मान करते हुए समान व्यवहार और अवसरों के अधिकारी हैं। इस प्रकार यह उन्हें समान अवसर एवं उपचार इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरों की परंपराओं को, संस्कृतियों का सम्मान करने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, लैंगिकता, सामाजिक उत्थान, स्तर आदि का अधिकार प्रदान करता है। अत: सरकारों को देश के सभी लोगों के लिए समान अवसर पैदा करने के प्रयास करने चाहिए और इस कारण समाज के कुछ वर्गो जैसे महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के लिए उन अवसरों को समान बनाने के लिए सरकारों को कुछ अतिरिक्त काम भी करना पड़ सकता है।

25.2.4 ये अधिकार मूलतः वैयक्तिक होते हैं

इसका अभिप्राय है कि ये अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों से संबद्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप सरकार को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर उनका आनंद उठा सके।

25.2.5 मानवाधिकारों के अंतर्गत मानवता के मौलिक सिद्धांत समाहित हैं

ये अधिकार मानव के व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा के लिए आधारभूत हैं। ऐसे अधिकारों के उदाहरण स्वरूप जीवन का अधिकार, दासता से मुक्ति और उत्पीड़न से स्वतंत्रता के अधिकार हैं।

25.2.6 मानवाधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर ही समिति नहीं है बल्कि यह कुछ आदर्शों को स्थापित करता है जो पूरे विश्व में माने जाते हैं

मानवाधिकार देशों को ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी मानते हैं जिनसे इन अधिकारों के प्रोत्साहन, संरक्षण एवं आदर का वातावरण बन सके।

पाठगत प्रश्न 25.1

1. सही उत्तर के सामने (✓) का निशान लगाइए–

(क) मानवाधिकार मानव अस्तित्व में अवस्थित हैं। (सही/असत्य)

(ख) शास्त्रीय अधिकारों के अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं। (सही/असत्य)

(ग) मानवाधिकारों का संरक्षण और संरक्षण देश की सीमा के अंदर ही होना चाहिए। (सही/असत्य)

2. रिक्त स्थान भरिए–

(क) मानवाधिकार .... है। (सार्वभौमिक/ स्थानीय)

(ख) मानवाधिकार आवश्यक रूप से .... हैं। (स्थिर, गतिशील, सीमित)

(ग) मानवाधिकारों के अंतर्गत मानवता के .... सिद्धांत शामिल हैं (प्राचीन, मध्यकालीन, मौलिक)

25.3 मानवाधिकारों के विकास की प्रमुख घटनाएं

कुछ प्राचीन राष्ट्रीय चार्टरों तथा यूरोप के संविधानों में अधिकारों की घोषणा को सम्मिलित करने से संकेत मिलता है कि यह अवधारणा कोई नई नहीं है।

प्राचीन यूरोपीय चार्टर में (मैग्नाकार्टा, 1215) 1579 में यूट्रेष्ट संघ (नीदरलैण्ड) और 1689 ब्रिटिश अधिकार बिल में मौलिक स्वतंत्रताओं की बात कहीं गई है।

18वीं और 19वीं शताब्दी के अधिकारों को शास्त्रीय अधिकार कहा जा सकता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित थे तथा जिन्हें कई राष्ट्रीय संविधान में दर्ज किया गया था। आजकल सरकारें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अधिकारों की नई श्रेणी प्रदान करती हैं और इन अधिकारों को समाजिक आधार कहा जाता है।

सामाजिक अधिकारों को पहले अंतर्राष्ट्रीय नियमावली में सम्मिलित किया गया। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई और यह विभिन्न श्रम संबंधी नियमों का जन्मदाता बना।

मानवाधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां

1. 1215 में मैग्नाकार्टा
2. 1776 में अमरीकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तथा अधिकार पत्र
3. 1987 में संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान
4. 1789 में मनुष्य के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा
5. 1946 में संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों के आयोग का गठन
6. 1948 सार्वभौमिक मानवाधिकारों का घोषणा पत्र
7. 1949 की जेनेवा सन्धि
8. 1950 का मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु यूरोपीय सन्धि
9. 1961 का यूरोपीय सामाजिक घोषणा पत्र
10. 1966 का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय संधि, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि, नागरिक एवं राजनीतिक, अधिकारों से जुड़ी ऐच्छिक संधि।
11. 1993 में मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन में पारित वियना घोषणा पत्र और कार्रवाई का कार्यक्रम

द्वितीय विश्वयुद्ध के भीषण अत्याचारों को मानवाधिकारों के युग का प्रारम्भ करने वाला माना जा सकता है क्योंकि इनसे इस विचार पर विराम लग गया कि यह राज्य का अधिकार है कि वह अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे।

संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की प्रस्तावना में मौलिक मानवाधिकारों के प्रति विश्वास को दोहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद में कहा गया है कि मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति जाति, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना आदर को प्रोत्साहित एवं बढ़ाना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है।

इस प्रकार मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक न्यायसंगत चिन्ता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देश मानवाधिकारों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रोत्साहित करने का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं।

1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया और दो वर्ष से कम अवधि में इस आयोग ने मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार कर लिया था जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया था।

1966 की सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृति अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के साथ सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के वैकल्पिक प्रथम और द्वितीय संलेख, अर्थात यह पांचों मिलकर मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल का अंग है।

अत: इन घोषणा पत्रों में कुछ विशेष स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित किया गया है जिन्हें एक विशिष्ट प्रतिष्ठा के लोग ही प्राप्त कर सकते थे और यह सबको सम्मिलित नहीं करते थे अपितु एक व्यक्ति को ही प्रदान किए गए थे। अगली कुछ सदियों में स्वतंत्रता का विचार प्रतिष्ठा से जुदा हो गया और इसे सारी मानव जाति के अधिकार के रूप में देखा गया।

यही समय था जब (ब्रिटिश उपनिवेश के विरोध में लहर उठी और परिणाम स्वरूप 1776 में वहाँ स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इस स्वतंत्रता की घोषणा का आधार सार्वभौमिक समानता और कुछ अहस्तांतरणीय अधिकारों का अस्तित्व था। इन सभी प्रपत्रों को अमेरिकी अधिकार बिल में सम्मिलित किया गया। जो अमरिकी संविधान का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय मानक बन गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कूट को विकास मिला है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए न्याय के साझे मानकों की पालना की नैतिक जिम्मेवारी को दोहराया गया है। सभ्य व्यवहार के ये मानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैधता को परस्पर जोड़ते हैं।

सार्वभौमिक मानवाधिकारों की संस्कृति का प्रत्यक्ष उदय नैतिक प्रगति को दर्शाता है और यह आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक रवैये से मानवीय गरिमा के लिए उत्पन्न हुए खतरों का प्रभावशाली उत्तर है। सतत विकास के लिए विकास के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखने की प्रक्रिया को समुचित आधार मिल रहा है। ''हम सब समान मानव है'' के विचार को आज अधिक स्वीकृति प्राप्त है जिसमें आधुनिक स्लोगन ''सभी मानवाधिकार सबके लिए'' तथा पूरा विश्व एक परिवार है'' मान्यता पा रहे हैं। हम तो बहुत समय से' सर्वे भवन्तु सुखिन: तथा वसुधैव कुटुम्बकम्'' में विश्वास रखते हैं।

पाठगत प्रश्न 25.2

1. सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाएँ –

(क) मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणापत्र को वर्ष 1946 में अपनाया गया। (सत्य/असत्य)

(ख) द्वितीय विश्वयुद्ध की नृशंसता ने आधुनिक मानवाधिकारों के युग को प्रारम्भ किया। (सत्य/असत्य)

(ग) मानवाधिकार भी मौलिक अधिकारों की तरह लागू करने योग्य है। (सत्य/असत्य)

2. रिक्त स्थान भरिए:-

(क) मानवाधिकार अब .... हो गए हैं। (स्थानीय, सार्वभौम, राष्ट्रीय)

(ख) विश्व के नेता .... में मानवाधिकार विश्व सम्मेलन के लिए इकट्ठे हुए। (विएना, जेनेवा, न्यूयॉर्क)

(ग) 18वीं-19वीं सदी के अधिकार .... के रूप में जाने जाते थे। (वैयक्तिक, सामाजिक, पारंपरिक)

25.4 भारतीय संविधान में मानवाधिकार

भारतीय संविधान ने मानवाधिकारों के महत्व को पहचाना है तथा तृतीय अध्याय में कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी भी दी है। ये हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा सांवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 सांवैधानिक उपचारों से संबंद्ध है। जिसके अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय इन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार रखता है। यह किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है।

इनमें राज्य द्वारा लोगों के कल्याण में वृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सम्मिलित है तथा काम करने की न्यायोचित एवं मानवीय स्थितियों का प्रावधान, कमजोर वर्गों के हितों को प्रोत्साहित करना, पोषण एवं जीवन

टिप्पणी

स्तर को उठाना तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करना, पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा वन्य जीव इत्यादि की रक्षा एवं सुधार करने के कर्तव्य सम्मिलित हैं।

इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग IV A में अनुच्छेद 51 A में दर्ज किया गया है जो मौलिक अधिकारों की गारंटी को और अधिक मजबूत करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 32 के साथ उच्च न्यायालयों को ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदान की गई है। उच्चतर न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण एवं उन्हें लागू करने का काम एक संवैधानिक आदेश है। कानून का शासन हमारे संविधान की आधारभूत विशेषता है और इसी प्रकार न्यायिक समीक्षा भी आधारभूत विशेषता है।

मानवाधिकारों के प्रसार में उच्चतम न्यायालय की भूमिका प्रशंसनीय है तथा अनुच्छेद 21 इसके लिए एक फलदायी अनुच्छेद है। कई मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है कि विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों जैसे मानवीय गरिमा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बचपन की रक्षा का अधिकार इत्यादि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देना होगा।

1948 के मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का प्रभाव भारतीय संविधान के भाग III और IV के प्रारूप में निरन्तर अनुभव किया गया। भारत ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र तथा अन्य दोनों प्रसंविदाओं को कुछ फेर बदल के साथ स्वीकार किया।

25.5 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया जिसमें मानव अधिकारों तथा उससे जुड़े मामलों की बेहतर रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान था। मानवाधिकारों को अधिनियम की धारा 2(1) (d) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा से जुड़े सभी अधिकार मानवाधिकार हैं जिनकी सुरक्षा की गारंटी संविधान देता है अथवा ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में दर्ज हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य हैं। आयोग के कार्यों की गणना अनुच्छेद 12 में की गई है जिसमें आयोग को एक व्यापक क्षेत्र बताया गया है जिसमें न केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन अथवा लापरवाही के मामलों की पूछताछ और जांच करना ही सम्मिलित है अपितु मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देना तथा मानवाधिकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कार्य करने का क्षेत्र भी सम्मिलित है।

1993 में अपने गठन के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सर्वोच्च न्यायालय की पूरक संस्था के रूप में अपना कार्य कर रहा है तथा किसी स्थिति अथवा किसी संस्थान के क्रिया-कलापों पर नज़र रखने का काम अपने स्वभावगत ढंग से बेहतर तरीके से कर रहा है। इन संस्थानों की परस्पर निर्भरता ने देश में मानवाधिकारों के संरक्षण की प्रक्रिया में काफी सुधार किया है जो कि प्राथमिक रूप से राज्य का दायित्व है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारो-विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार की व्याख्या से भारत में मानवाधिकारों के अर्थ एवं क्षेत्र को विस्तार मिला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनुच्छेद 12 में दर्ज अपने कार्यों, विशेष रूप से शासन चलाने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच करने से संबंधित अपनी शक्ति की मानवाधिकारी की सुरक्षा तथा उनके उल्लंघन को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए व्याख्या भी की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शासन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु अपनी भूमिका को इस दृढ़ विश्वास के साथ उत्प्रेरक के रूप में देखता है कि संविधान के अनुसार सुशासन तथा केवल कानून का शासन ही मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावशाली साधन हो सकता है। दोनों के बीच संबंध सीधा और स्पष्ट है।

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य के दायित्व की प्रकृति एवं क्षेत्र के विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में हुए गुजरात की साम्प्रदायिक गड़बड़ी के मामले में संकेत किया है।

आयोग की टिप्पणी थी:

यह राज्य का प्राथमिक और अनिवार्य दायित्व है कि वह अपने सभी लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार की रक्षा करे। राज्य की यह भी जिम्मेवारी है कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसे अधिकारों का उल्लंघन जानबूझ कर, अथवा लापरवाहीं से न होने पाए। मानवाधिकारों की न्यायोचितता का यह स्पष्ट और उभरता हुआ सिद्धांत है कि राज्य न केवल अपने लिए काम करने वाले लोगों के कृत्यों के प्रति उत्तरदायी है अपितु राज्य उन सब लोगों के कृत्यों के लिए भी उत्तरदायी है जो उसके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। राज्य उस निष्क्रियता के लिए भी उत्तरदायी है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन को सुविधाजनक बनाती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकारी तंत्र तथा आतंकवादी समूहों द्वारा किए मानवाधिकार उल्लंघन के अनेक मामलों की जांच की है। मानवाधिकार आयोग किसी मामले की शिकायत की जांच के दौरान केंद्र सरकार से अथवा किसी भी राज्य सरकार से सूचनाएं अथवा रिपोर्ट अथवा किसी अधिकारी, प्राधिकरण, सहायक (अधीनस्थ) से एक निश्चित समय में मांग कर सकता है। जांच के बाद यदि आयोग इस नतीजे पर पहुंचता है कि अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

1. यदि जांच से पता चलता है कि किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लघंन किया गया अथवा अनदेखी की गई है तो उसके विरुद्ध राज्य सरकार से कार्रवाई करने अथवा अभियोजन (इस्तगासा) की अनुशंसा कर सकता है।
2. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से दिशा-निर्देश हेतु सम्पर्क कर सकता है।
3. पीड़ित सदस्य या उसके परिवार को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए सरकार तथा प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है।

यदि मानवाधिकार के पास सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा मानवाधिकार के उल्लघंन का मामला आता है, तो इसके निपटारे का तरीका कुछ अलग होता है। इसके लिए केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है और उस पर वह अपनी संस्तुतियां प्रदान कर सकता है। आयोग ने 22 मार्च 2000 की घटना को ध्यान में लिया जिसमें अनंतनाग जिले के एक गांव में सिक्ख समुदाय के 35 सदस्यों को सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा मार गिराया गया था और इस समाचार को सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया था। मारे गए सभी लोगों की आयु 16-55 वर्ष के मध्य थी। यह घटना 21 मार्च, 2000 की रात्रि में घटी थी। बाद में सभी शवों को देखकर एक महिला की भी मृत्यु हो गई थी। इस घटना में कम से कम दो परिवारों के सभी पुरुष सदस्य मारे गए थे। यह घटना उस समय हुई थी जब मात्र कुछ ही घंटो बाद संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर पहुंचने वाले थे। आयोग ने इसे संज्ञान में लिया और उसने मुख्य सचिव और जम्मू व कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा था एवं साथ ही सचिव गृहमंत्रालय (भारत सरकार) को विस्तृत रिपोर्ट देने की बात कही थी।

दूसरी घटना 15 अप्रैल 1996 की है। इसमें पुलिस कर्मियों द्वारा 6 नक्सलवादियों की डाल्टनगंज (बिहार) के मुरमडाग गांव में हत्या कर दी गई थी। द पीपल युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने पलामू जाकर इस मामले की छानबीन की और पाया कि एक विवाद को निपटाने के लिए एक सशस्त्र दल गांव में आया था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और इसने चारों ओर से घेर लिया। बंदूकधारियों ने पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अलग-अलग दिशाओं में खड़ा करके गोली मार दी। पीयूसीएल को यह भी पता चला कि पुलिस का यह आरोप था कि इन नक्सलवादियों ने बम और आग्नेय अस्त्रों से पुलिस पर हमला किया। इस पर जवाबी गोलाबारी में वे छह नक्सलवादी मारे गए। जो कि एक झूठी कहानी थी। वे नक्सलवादी सादी वर्दी में आए थे, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन्हें खाकी वस्त्र पहना दिए गए थे, जिसमें न कोई छेद थे और न ही कोई गोलियों के निशान थे। उनके शव

फेंक दिए गए थे, किंतु लोगों के विरोध के कारण पुलिस गाड़ी में उनका शव ले जाकर उनका दाह-संस्कार किया गया। पुलिस के साथ-साथ संबंधित थाने की पुलिस भी इस कार्रवाई में शामिल थी। आयोग ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केस सीआईडी को सौंपने की संस्तुति की। इसके लिए चार माह का समय दिया गया। आयोग ने भी विश्वास व्यक्त किया कि दोष सिद्ध होने पर राज्य द्वारा राहत प्रदान की जाएगी।

आयोग ने 27 जनवरी, 1999 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस घटना को संज्ञान में लिया था जिसका शीर्षक था: बिहार: पुरानी कहानी नए अपराधी और उच्च जाति की रणबीर सेना ने जहानाबाद में 21 दलितों को मौत के घाट सुलाया। ''खबर के अनुसार, अगड़ी जातियों की रणवीर सेना, जो अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस थी, ने 21 लोगों को मार गिराया जिनमें 5 महिलाएं और 6 बच्चे थे। यह घटना 25 जनवरी, 1999 की है। यह घटना जहानाबाद जिले के मेहंदिया थाने के अंतर्गत रूख सागर विद्या गांव की है। पीड़ितों में 7 दलित थे एवं शेष पिछड़ी जातियों के थे। अखबार में छपी खबर को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने अपराधियों की धर पकड़ करने को कहा, ताकि वहां ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। आयोग ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह पीड़ितों की सहायता करे तथा घायल एवं भुक्तभोगी परिवारों को सुरक्षा प्रदान करे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी सामान्य न्यायालय की तरह न तो कोई फैसला सुनाता है और न ही न्यायालय के फैसले की भांति इसकी संस्तुतियां मानने को बाध्य होना पड़ता है। आयोग की संस्तुतियां जनता में खूब प्रचारित होती हैं और सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ती है। आयोग का टाडा के विरुद्ध छेड़ा गया अभियान एक उल्लेखनीय कदम है। यह एक अस्थायी कानून है, जो 23 मई 1995 को समाप्त हो गया। टाडा के समाप्त होने पर सरकार द्वारा किसी वैकल्पिक कानून को सदन में पारित नहीं किया गया।

25.6 गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका (NGOs)

मानवाधिकारों का प्रभाव किसी राष्ट्र की संप्रभुता की अवधारणाओं में एक बदलाव लाया है। वर्तमान में कोई भी देश अपने नागरिकों को घरेलू सरोकारों से परेशान नहीं कर सकता। नवीन अवधारणाओं से मुक्त मानवाधिकारों के भूमण्डलीकरण ने विश्व को एक भूण्डलीय गांव बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप मानवाधिकार के मामले अब वैश्विक सरोकारों से जुड़ गए हैं। स्वैच्छिक संस्थाए जिन्हें गैर सरकारी संस्थाएं भी कहा जाता है, को विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त है और ये पूरे विश्व के प्रत्येक समाज में मानवाधिकारों को समर्थन एवं प्रोत्साहन दे रहे हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वाच एवं पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जैसी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्य जैसे- पूर्व युगोस्लाविया (कोसोवो, बोस्निया आदि), रंवांडा पूर्वी तिमोर, सिएरालियोन, सूडान और भारत में गुजरात एवं ऐसे अनेक उदाहरण है, जहां उपर्युक्त संस्थाओं ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन संस्थाओं के क्रियाकलापों के बीच 1946 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्थापित मानवाधिकार आयोग तालमेल करता है। गैर-सरकारी संस्थाओं के उपर्युक्त क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप अब राज्यों के लिए वैधानिक संस्थाओं जैसे मानवाधिकार समिति, बाल समिति, महिला समिति, जाति समिति, भेदभाव हटाने की समिति आदि) के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

लगभग आधी शताब्दी पूर्व यह अनुभव करना सोच से परे था कि प्रभुतासंपन्न राष्ट्र अपनी आतंरिक रिपोर्ट को किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सामने रखकर यह बताए कि उसने अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य उसके व्यवहार पर चर्चा करें। किंतु आज मानवाधिकारों की अवधारणा की शक्ति का यह रूप हमारे समक्ष उपस्थित है। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका निर्विवाद है। उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मानवाधिकारों के मूल एजेन्सियों के साथ सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के जुड़ने से भारत में मानवाधिकार आंदोलन काफी सक्रिय है। मानवाधिकारों के संरक्षण के रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है।

टिप्पणी

आपने क्या सीखा

- मानवाधिकारों के अंतर्गत व्यावहारिक रूप से मानव अस्तित्व के प्रत्येक पक्ष को सम्मिलित किया जाता है, जो प्रत्येक मनुष्य को मानव परिवार का समान सदस्य बनाता है।
- मानवाधिकारों का सार मानव गरिमा है। व्यक्ति की गरिमा का क्षेत्र और इस पक्ष का व्यापक सार ही मानवाधिकारों के सही क्षेत्र को व्याख्यायित कर सकता है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसकी मूल भावना की व्याख्या की गई है और मौलिक अधिकारों के अध्याय में 'व्यक्ति की गरिमा' और 'देश की एकता एवं अखंडता' को वर्णित किया गया है। ये मानवाधिकार के सामाजिक और वैयक्तिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रत्येक व्यक्ति के मूल मानवाधिकारों की रक्षा करता है। यह भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जांच पड़ताल करता है।

पाठांत प्रश्न

1. मानवाधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है?
2. मानवाधिकारों की छह मूल विशेषताएं कौन-सी हैं?
3. भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के महत्व पर चर्चा करें।
4. टिप्पणी लिखिए- (क) मानवाधिकारों का सार्वभौमीकरण (ख) भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका (ग) मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

25.1

1. (क) सत्य
   (ख) सत्य
   (ग) असत्य
2. (क) सार्वभौमिक
   (ख) गतिशील
   (ग) मौलिक

25.2

1. (क) असत्य
   (ख) सत्य
   (ग) असत्य
2. (क) सार्वभौम
   (ख) विएना
   (ग) शास्त्रीय

टिप्पणी

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. खण्ड 25.1 देखें
2. खण्ड 25.2 देखें
3. खण्ड 25.4 देखें
4. खण्ड (क) 25.3 (ख) 25.5 (ग) 25.6

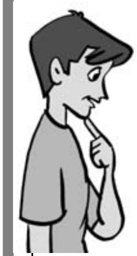

किशोरों के मुद्दों पर आइए विचार करें

क्या एच.आई.वी./एड्स (पीएलडब्लूएचए) से पीड़ित लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है?

एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। यह उनका अधिकार है कि अपनी एड्स के विषय में लोगों को बतायें या नहीं। अन्य नागरिकों की भांति संविधान में निहित मौलिक अधिकार इन्हें भी भेदभाव से बचाते हैं। एचआईवी/एड्स से पीड़ित और अन्य लोगों के समान अधिकार हैं। उन्हें भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यात्रा, विवाह एवं गोपनीयता का अधिकार है।